

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग—1

लखनऊ: दिनांक—22 फरवरी, 2001

विषय : स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत पार्किंग क्षेत्र की कमी हेतु शमन की कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि स्वैच्छिक शमन योजना में पार्किंग क्षेत्र की कमी को कतिपय शर्तों के साथ शमन किए जाने की व्यवस्था की गई थी। इस सम्बन्ध में इस्टेट बिल्डर्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि लखनऊ में स्वीकृत कतिपय भवन मानचित्रों में पार्किंग हेतु आरक्षित स्थल का जिन भवन स्वामियों द्वारा अन्य उपयोग कर लिया गया है, को मात्र उच्च न्यायालय, लखनऊ बैन्च के आदेशों के अनुपालन में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पुनर्स्थापित करायाजा रहा है। एसोसिएशन ने अनुरोध किया है कि जिन भवन स्वामियों/निर्माणकर्ताओं द्वारा पार्किंग स्थल का उपयोग अनुमोदित मानचित्र के विरुद्ध किसी अन्य उपयोग में कर लिया गया है और पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए, परन्तु ऐसे प्रकरण जहां किसी निर्माणकर्ता द्वारा भवन परिसर में उपविधियों के अनुरूप पार्किंग क्षेत्र का वैकल्पिक प्राविधान सुनिश्चित किया जा चुका है अथवा किया जा रहा है, मैं पार्किंग की व्यवस्था स्वीकृत मानचित्र में दर्शाए गये स्थल पर ही पुनः स्थापित किया जाना युक्तिसंगत नहीं है।

2. अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे प्रकरणों में, जहां उसी उसी भवन परिसर में वैकल्पिक पार्किंग स्थल उपलब्ध कराना सम्भव है, निम्न शर्तों के आधार पर पुनः मानचित्र स्वीकृत करने पर विचार किया जा सकता है:-

- (i) भवन परिसर में वर्तमान भू—उपयोग के आधार पर वाचित पार्किंग व्यवस्था निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित करनी होगी,
- (ii) यदि भवन में अनिधिकृत निर्माण है जो शमनीय श्रेणी में आता है (बेसमेन्ट को शामिल करते हुए), तो अतिरिक्त निर्माण हेतु भी निर्धारित मानकों के अनुसार पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- (iii) पार्किंग स्थल तक वाहनों के आने—जाने के लिए मानकों के अनुसार पहुंच मार्ग तथा Manoevouring space उपलब्ध होना चाहिए

(iv) अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से भवन के चारों ओर नियमानुसार वांछित खुले क्षेत्र में किसी प्रकार की पार्किंग अनुमन्य नहीं होगी तथा भू-आच्छादन के अतिरिक्त उपलब्ध भू-खण्ड के अवशेष खुले क्षेत्र के 50 प्रतिशत भाग पर ही पार्किंग अनुमन्य होगी।

(v) पार्किंग की वैकल्पिक व्यवस्था करने पर, स्वीकृत भवन मानचित्र में मूल पार्किंग स्पेस का अनधिकृत रूप से अन्य उपयोग किए जाने हेतु नियमानुसार शमन शुक देय होगा,

(vi) भू-स्वामी द्वारा प्राधिकरण को इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि पार्किंग हेतु पुनर्स्थापित क्षेत्र को भविष्य में किसी अन्य उपयोग में नहीं लाया जाएगा। शपथ-पत्र का उल्लंघन होने पर पार्किंग क्षेत्र को प्राधिकरण द्वारा जजंबी कर लिया जायेगा।

3. कृपया पार्किंग क्षेत्र की कमी हेतु शमन की कार्यवाही उपरोक्त शर्तों के साथ तभी सुनिश्चित करने का कष्ट करें जब भवन स्वामी द्वारा उसी परिसर में पार्किंग की निर्धारित व्यवस्था उपलब्ध करा दी जाए।

भवदीय,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

संख्या 964 (1)/9—आ—1—2001, (आ.ब.)तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद।
3. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
5. अध्यक्ष, इस्टेट बिल्डर एसो., प्रगति केन्द्र, प्रथम तल, कपूरथला, लखनऊ।
6. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव